# सुस्वागतम

# राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति

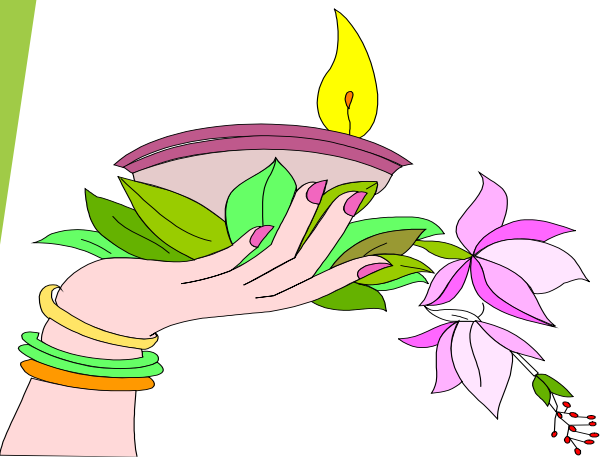

डॉ. गजानन वानखेडे

हिंदी विभाग

बळीराम पाटील कला, वाणिज्य एवं विज्ञान

महाविद्यालय, किनवट

# राजभाषा के प्रमुख प्रकार्य

- प्रदेश का सबसे बड़ा न्यायालय और देश के उच्चतम न्यायालय को समन्वित करने का कार्य
- सरकार के सभी कार्यालयों में संपर्क स्थापित करने का माध्यम
- केंद्रीय सरकार का प्रांतों के साथ और प्रांतों का केंद्र के साथ संपर्क माध्यम के रूप में।

# राजभाषा के प्रमुख प्रकार्य

- राष्ट्र के तीनों अंगों में समन्वय स्थापित करना अथवा उनमें संपर्क कायम करना।
- यह सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होकर जनता तथा शासन के मध्य संपर्क पैदा करती है।

# राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति

- 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा
- संविधान के अनुसार 'हिंदी, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हो, इस देश की राजभाषा है।'
- 15 वर्षों तक अंग्रेजी के सहप्रयोग का प्रावधान और हिंदी को राजभाषा के प्रकार्य के निर्वाह के लिए तैयारी।
- संविधान के 120, 214 और अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान।

# राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति

- 343 (1) संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी है।
- 343(2) 26 जनवरी, 1965 तक सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का यथावत् प्रयोग होता रहेगा ताकि हिंदी इस अवधि के दौरान शासन, विधान, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम हो जाए।
- 343 (3)संसद को अधिकार दिया गया कि पंद्रह वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी वह चाहे तो अंग्रेजी के प्रयोग को यथावत् रखने की विधि द्वारा कोई उपबंध कर सकेगी।

# राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति

- अनुच्छेद 344– माननीय राष्ट्रपति महोदय को संविधान के प्रथम पाँच वर्ष तथा दस वर्ष के पश्चात् राजभाषा की नियुक्ति करने के लिए निर्देश।
- अनुच्छेद 345 – राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा एक या एकाधिक प्रादेशिक भाषाओं अथवा हिंदी को सरकारी प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा।
- अनुच्छेद 346 – एक राज्य तथा दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य एवं संघ के मध्य पत्राचार में संघ की राजभाषा का ही प्रयोग होगा।

# राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति

- अनुच्छेद (347) यदि किसी राज्य के जन–समुदाय का पर्याप्त अनुपात अपने द्वारा बोली–समझी जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा अभिज्ञात करना चाहे तो राष्ट्रपति उस भाषा को सरकारी अभिज्ञा देने का अधिकारी है।
- अनुच्छेद (348)जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों एवं आदेशों तथा नियमों–विनियमों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में ही होंगे।

# राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति

- अनुच्छेद (349) संविधान के शुरू के पंद्रह वर्षों की कालावधि तक अंग्रेजी के स्थान पर किसी अन्य भाषा का पाठ प्राधिकृत पाठ नहीं माना जाएगा, किंतु किसी अन्य भाषा के प्राधिकृत पाठ के लिए राष्ट्रपति भाषा आयोग की संस्तुतियों एवं संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद अपनी स्वीकृति दे सकते हैं।
- अनुच्छेद (350) कोई व्यक्ति अपनी शिकायत के समाधान के लिए संघ या संबद्ध राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी भी भाषा में निवेदन कर सकता है।

# राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति

- अनुच्छेद (351) संघ सरकार का कर्तव्य है कि वह हिंदी को एक ऐसी सर्वमान्य राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करे जिसका पूरे राष्ट्र में गर्व सहित प्रयोग किया जा सके और वह भारत की मिश्रित संस्कृति को अभिव्यक्त कर सके। इसके लिए हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को ग्रहण कर उसे समृद्ध किए जाने का भी सुझाव है।

# राजभाषा संबंधी राष्ट्रपति के आदेश

- 27 मई 1952 में राष्ट्रपति महोदय का राजभाषा संबंधी आदेश जारी–
- राज्यपालों और उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के नियुक्ति पत्रों में अंग्रेजी के साथ हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत।

# राजभाषा संबंधी राष्ट्रपति के आदेश

- 4. जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी है, उनके साथ पत्र–व्यवहार
- 5. संधिपत्र और करार
- 6. अन्य देशों की सरकारों, राजदूतों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्र–व्यवहार
- 7. राजनयिक और काउंसिल के पदाधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारतीय प्रतिनिधियों के नाम पर जारी किए जाने वाले औपचारिक दस्तावेज।

# राजभाषा आयोग का गठन

- सन् 1955 में राजभाषा आयोग का गठन
- अध्यक्ष – श्री वी. जी. खेर,
- सदस्य – विभिन्न राज्यों के 20 प्रतिनिधि
- आयोग द्वारा जुलाई 1957 को राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत
- आयोग की सिफारिश –
- 1 माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर हिंदी का अनिवार्य शिक्षण
- 2. उच्च स्तर पर हिंदी में कार्य करने के लिए पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण एवं प्रचार।

# राजभाषा आयोग का गठन

- 3 उच्च शिक्षा में हिंदी माध्यम को प्रोत्साहन
- 4. प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए किसी स्तर पर अनिवार्य ज्ञान
- 5. सेवा परीक्षाओं में हिंदी का अनिवार्य प्रश्न–पत्र
- 6. देवनागरी देश की सब भाषाओं के लिए उपयुक्त लिपि
- 1957 में गृहमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संसदीय समिति का गठन
- 20 लोकसभा के सदस्य तथा 10 राज्यसभा के सदस्य

# राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति

- राजभाषा अधिनियम – 1963 में पारित, 1967 में संशोधित
- इस अधिनियम में सरकारी कार्यालयों से जारी होने वाले सभी दस्तावेजों में हिंदी और अंग्रेजी का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे राष्ट्रीय स्तर पर द्विभाषिकता की स्थिति पैदा हो।
- इसका परिणाम यह हुआ कि सामान्य आदेश, नियम, अधिनियम, प्रशासनिक रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियाँ, संविदाएँ, करार, लाइसेंस, परमिट, टेंडर नोटिस, सरकारी पत्र आदि हिंदी–अंग्रेजी में जारी करने की व्यवस्था की गई।

# राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति

- राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत संघ और हिंदी को अपने राज्य की राजभाषा न अपनाने वाले राज्य के बीच पत्राचार अंग्रेजी में हो सकता है।
- हिंदी को अपने राज्य की राजभाषा अपनाने वाले एक राज्य और न अपनाने वाले दूसरे राज्य के बीच पत्राचार में हिंदी पत्र के साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद होना जरूरी है।
- उच्च न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग हो सकता है किंतु दस्तावेजों के साथ उनका अंग्रेजी अनुवाद भी होना चाहिए।

# राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति

- राजभाषा नियम 1976
- सरकारी कामकाज के लिए भारत के विभिन्न भाषायी क्षेत्रों को तीन वर्गों में विभक्त किया गया–
- क क्षेत्र – बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली तथा अंडमान–निकोबार संघ राज्य क्षेत्र
- ख क्षेत्र – गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- ग क्षेत्र – देश के दक्षिण और पूर्वी तट के सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र।

# राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति

- राजभाषा नियम तमिलनाडु को छोड़कर भारत के सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों पर लागू हैं।
- केंद्रीय सरकार 'क' क्षेत्र तथा 'ख' क्षेत्र के राज्यों/संघशासित क्षेत्रों से सामान्यतः पत्राचार हिंदी में करेगी। यदि पत्र अंग्रेजी में भेजा गया तो उसका हिंदी अनुवाद भी भेजना आवश्यक है
- केंद्रीय सरकार का 'ग' क्षेत्र के राज्यों/संघशासित क्षेत्रों/व्यक्तियों से पत्राचार अंग्रेजी में होगा।
- हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में ही देना आवश्यक है।

# राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति

- कर्मचारी अपने आवेदन आदि हिंदी या अंग्रेजी में देने के लिए स्वतंत्र हैं।
- हिंदी में हस्ताक्षरित पत्र को भी हिंदी में प्राप्त पत्र ही माना जाएगा।
- कर्मचारी अपनी टिप्पणियाँ केवल हिंदी में भी लिख सकता है।
- हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाला कर्मचारी, विधिक या तकनीकी दस्तावेजों को छोड.कर अन्य हिंदी दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद नहीं मांग सकता।

# राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति

- सभी मैनुअल, संहिताएँ और अन्य प्रक्रिया संबंधी साहित्य, स्टेशनरी का सामान आदि हिंदी और अंग्रेजी में ही होने चाहिए। इसके अलावा सभी फार्म, रजिस्टरों के शीर्षक, नामपट्ट, पत्रशीर्ष, लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा स्टेशनरी की अन्य सभी मदें हिंदी और अंग्रेजी में अवश्य हों।
- राजभाषा नियमों के पालन का उत्तरदायित्व कार्यालय/शासक के प्रशासकीय प्रधान का है।

धन्यवाद